

भागलपुर समाहरणालय

(जिला कल्याण शाखा)



पुनर्निविदा आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये भागलपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभाग (अनु0जाति एवं अनु0जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय (1) बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय कम्पनीबाग, भागलपुर (2) राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भागलपुर एवं छात्रावासों में (1) मेस प्रबंधन (2) सुरक्षा गार्ड के लिए दिनांक 07.06.2018 के 12:00 बजे अपराहन तक निबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों एवं निबंधित फर्मों से सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपराहन 04:00 बजे अपराहन जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक में सील बंद लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत हैं :-


आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन चयन हेतु तकनीकी शर्तें :-

- (I) इच्छुक निविदादाता को मेस संचालन हेतु अग्रधन के रूप में 50000/- (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्रॉपट जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से विकलनीय होगा, संलग्न करना होगा।
- (II) निविदादाता को मेस संचालन हेतु अद्यतन फूड एवं कैटरिन से संबंधित फूड लाईसेंस संलग्न करना होगा।
- (III) मेस संचालन हेतु श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस संलग्न करना होगा।
- (IV) वित्तीय निविदा में मेस संचालन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर पर, निर्धारित मीनू या उससे अच्छे गुणवत्ता वाले मीनू के अनुसार आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन, नास्ता एवं विशेष अवसर पर विशेष भोजन की आपूर्ति करनी होगी।
- (V) समय-समय पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में आपूर्तित भोजन की जाँच खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) द्वारा की जायेगी, जिसके आलोक में हर तीन महीने पर इसकी समीक्षा होगी।
- (VI) संबंधित निवादादाता को जी0एस0टी0 में निबंधित होने एवं प्रथम त्रैमासिक रिटर्न भरने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- (VII) निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (2014-15, 2015-16, 2016-17) संलग्न करना होगा।
- (VIII) निविदादाता को विगत तीन वर्षों का Audit Report निबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रस्तुत करना होगा जिसका वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
- (IX) निविदादाता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (X) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।
- (XI) समय-समय पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में आपूर्तित भोजन की जाँच खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) द्वारा की जायेगी, जिसके आलोक में हर तीन महीने पर इसकी समीक्षा होगी।

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में सुरक्षा एजेन्सी चयन हेतु तकनीकी शर्तें :-


- (I) इच्छुक निविदादाता को सुरक्षा एजेन्सी चयन हेतु 25000/- (पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्रॉपट जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से विकलनीय होगा, संलग्न करना होगा।

(Handwritten signature)



भागलपुर समाहरणालय

(जिला कल्याण शाखा)



- (II) संबंधित आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 में निबंधित होने एवं प्रथम त्रैमासिक रिटर्न भरने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- (III) निविदादाता को सुरक्षा एजेंसी में कार्य करने हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (IV) सुरक्षा एजेंसी हेतु आपूर्तिकर्ता/एजेंसी को मानक एजेंसी/सुरक्षा एजेंसी/सरकारी मान्यता प्राप्त से पंजीकृत होना चाहिये।
- (V) सुरक्षा एजेंसी को ई0पी0एफ0 में दर्ज होने संबंधी निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (VI) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।
- (VII) निविदादाता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (VIII) सुरक्षा एजेंसी हेतु श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस संलग्न करना होगा।
- (IX) निविदादाता को श्रम विभाग से अद्यतन व्यवसाय की प्रकृति के साथ निबंधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (X) निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (2014-15, 2015-16, 2016-17) संलग्न करना होगा। जिसका वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
- (XI) सुरक्षा एजेंसी के द्वारा सुरक्षा में लगाये गये कर्मियों का भुगतान उनके उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक करेंगे।


छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में सामग्री आपूर्ति का तकनीकी शर्त :-

01. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता को बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम श्रम विभाग से अद्यतन व्यवसाय की प्रकृति के साथ निबंधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
02. संबंधित आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 में निबंधित होने एवं प्रथम त्रैमासिक रिटर्न भरने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
03. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (2014-15, 2015-16, 2016-17) संलग्न करना होगा।
04. आपूर्तिकर्ता को विगत तीन वर्षों का Audit Report निबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रस्तुत करना होगा जिसका वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
05. आपूर्तिकर्ता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
06. आपूर्तिकर्ता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।
07. सामग्री की आपूर्ति ब्रांडेड कंपनी/अच्छी गुणवत्ता देने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।
08. पूर्व में किसी जिले में कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
09. आपूर्तिकर्ता को अग्रधन के रूप में 100000/- (एक लाख) रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से विकलनीय होगा, संलग्न करना होगा।

वित्तीय शर्त :-


उपरोक्त तकनीकी शर्तों को पूरा करने के उपरांत वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा। आपूर्तिकर्ता को वित्तीय लिफाफे में मदवार सभी कर सहित एवं परिवहन शुल्क सहित दर बाजार दर से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त निविदा Two Bid System पर आधारित होगा। इच्छुक एन0जी0ओ0/फर्म / आपूर्तिकर्ता तकनीकी शर्त एवं वित्तीय शर्त दोनों लिफाफा अलग-अलग सील बंद (लाह से) लिफाफे में देना होगा। पुनः दोनों को एक बड़े लिफाफे के अंदर डालकर निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिसूचित पते पर निबंधित डाक/हाथों-हाथ डालें। साथ ही प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्तन करने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी के लिये



भागलपुर समाहरणालय

(जिला कल्याण शाखा)



जिला कल्याण कार्यालय के वेबसाईट – www.bcebcwelfare.bih.nic.in / www.scstwelfare.bih.nic.in एवं भागलपुर जिला के वेबसाईट – www.bhagalpur.bih.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है। दोनों लिफाफे पर आपूर्तिकर्ता का पूर्ण नाम/पता/Contact No/e-mail No अंकित करना आवश्यक होगा। इच्छुक आपूर्तिकर्ता 500/-रूपये देकर निविदा का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

मेस संचालन एवं सिक्यूरिटी गार्ड में एकल निविदा प्राप्त हुआ था, प्रावधाना अनुसार दोनों के एकल निविदा को रद्द किया गया, तथा सामग्री आपूर्ति हेतु तीन निविदा प्राप्त हुये थे, निविदादाताओं के तकनीकी निविदा में कमी रहने के कारण पूर्व प्रकाशित सभी निविदा को रद्द करते हुये क्रय समिति के द्वारा पुर्न निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रभारी उप विकास आयुक्त,
भागलपुर।